



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक-24.11.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस, सर्विलांस सैल व स्वाट टीम बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 966/24 धारा 352/351(2)/309(6) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ 04 लुटेरों को किया गिरफ्तार (02 लूटेरें घायल), जिनके कब्जे से लूटी हुई कार स्विफ्ट डिजायर, लूटे हुए 91,000 रुपये नगद व अन्य सामान तथा घटना में प्रयुक्त 03 अवैध तमंचे .315 बोर मय 06 जिंदा व 04 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.11.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी मनोज कुमार पुत्र सत्यपाल फैक्ट्री पता कोरस लाईट इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड प्लाट नं0 डी 27 यू0पी0एस0आई0डी0सी0 निकट बिजली घर निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 18.11.2024 को समय करीब रात्रि 22.00 बजे चार अज्ञात लुटेरों द्वारा तमंचे से लैस होकर वादी के साथ गाली-गलौच करते हुए वादी के ऊपर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई तथा



वादी की कार संख्या DL9CAS5471 (जिसमें आवेदक के 2,00,000/- (दो लाख रुपये), कम्पनी व व्यक्तिगत बैंक खाते की चैकबुक जिसमें कुछ हस्ताक्षरित चैक हैं तथा पैन कार्ड, आधार कार्ड ,डी0एल0 कार की आर0सी0 डेबिट व क्रेडिट कार्ड व पार्थी की पत्नी के नाम

का क्रेडिट कार्ड सहित लूट कर ले गये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 966/24 धारा 352/351(2)/309(6) बीएनएस पंजीकृत किया गया था एवं विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लुटेरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस, सर्विलांस सैल व स्वाट टीम बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 966/24 धारा 352/351(2)/309(6) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ 02 लुटेरों अभियुक्तों आमिर व साहिल उर्फ मुन्ना को घायलावस्था व अन्य 02 लुटेरों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लूटी हुई कार स्विफ्ट डिजायर नं0 DL9CAS5471, लूटे हुए 91,000 रुपये नगद व अन्य सामान तथा घटना में प्रयुक्त 03 अवैध तमंचे .315 बोर मय 06 जिंदा व 04 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं। पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना कोतवाली बागपत के आरक्षी धीरज कुमार घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल बागपत में चल रहा है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त घटना के सफल अनावरण पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय द्वारा अनावरण करने वाली पुलिस टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. नदीम पुत्र राशिद पठान निवासी मौ0 टीला कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2. शोएब पुत्र इकरामुद्दीन सैफी निवासी मौ0 देशराज कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3. आमिर पुत्र यामीन निवासी मौ0 बिलाल का मदरसा मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत। (घायल)
4. साहिल उर्फ मुन्ना पुत्र युसुफ नि0 बिलाल का मदरसा मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत। (घायल)

बरामदगी का विवरण-

- लूटी हुई कार स्विफ्ट डिजायर नं0 DL9CAS5471
- 02 गाडी की नम्बर प्लेट।
- लूटे गये 91,000/- रुपये नगद।

- लूटा गया लैडर बैग चैरी कलर जिसके अन्दर एक नोटबुक लैडर कवर, एक वेन्यू कार्ड पर्स, एक रिसिप्ट बुकलेट बागपत इण्डस्ट्रीज एशोसियेशन, 07 चैकबुक क्रमशः 03 एक्सिस बैंक, 02 ICICI बैंक, 01 कैनरा बैंक, 01 इण्डियन ओवरसीज बैंक एवं 06 आधार कार्ड, 03 पेन कार्ड, 11 डेबिट कार्ड, 01 क्रेडिट कार्ड, 01 आर.सी., 01 डी.एल. व 20 फोटो पासपोर्ट साइज ।
- घटना में प्रयुक्त 03 अवैध तमंचे .315 बोर मय 06 जिंदा व 04 खोखा कारतूस .315 बोरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री दीक्षित कुमार त्यागी थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 2-निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा प्रभारी सर्विलांस सैल मय टीम ।
- 3-निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार प्रभारी स्वाट टीम मय टीम।
- 4-निरीक्षक श्री रामकुमार कुन्तल थाना कोतवाली बागपत।
- 5-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 7-उ0नि0 श्री निकलेश रस्तोगी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 8-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 9-है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 10-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 11-का0 914 देवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 12-का0 1120 धीरज कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 24.11.2024

थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा हत्याकांड से संबंधित 25 हजार रुपये के ईनामी अभियुक्त ज्ञानेन्द्र पुत्र कृष्णपाल के मस्कन पर चल सम्पत्ति की उदघोषणा का नोटिस मा0 न्यायालय के आदेश अन्तर्गत धारा 84 BNSs का चरूपा किया गया ।

कार्यवाही-

दिनांक 28.10.2024

को थाना चांदीनगर पर

पंजीकृत मु0अ0सं0

210/2024 धारा

103(1)/109/61(2)

बीएनएस में वांछित व

25,000 रुपये के

ईनामिया अभियुक्त

ज्ञानेन्द्र पुत्र कृष्णपाल

निवासी ग्राम ढिकौली

थाना चांदीनगर

जनपद बागपत हाल

पता मकान न. 61

जाग्रति विहार सैक्टर

03 थाना मैडिकल

मेरठ जनपद मेरठ के



Shot on OnePlus
Powered by Quad Camera

विरुद्ध थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी न होने पर नियमानुसार मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जनपद बागपत से जारी अन्तर्गत धारा 84 BNSs का नोटिस अभियुक्त के जनपद मेरठ में स्थित मकान पर चल सम्पत्ति की उदघोषणा करते हुये चरूपा किया गया ।

नोट:- नामित अभियुक्त ज्ञानेन्द्र पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत हाल पता मकान न. 61 जाग्रति विहार सैक्टर 03 थाना मैडिकल मेरठ जनपद मेरठ की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के द्वारा 25,000 रुपये का ईनाम घोषित किया गया है।

आपराधिक इतिहास-

ज्ञानेन्द्र पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत हाल पता मकान न. 61 जाग्रति विहार सैक्टर 03 थाना मैडिकल मेरठ जनपद मेरठ

क्र०स०	अ०स०	धारा	थाना	अभियोग मे अद्वतन स्थिति
1	77/01	302 भादवि	चांदीनगर	दोषमुक्त
2	87/01	25 आर्म्स एक्ट	चांदीनगर	दोषमुक्त
3	90/01	¾ गुण्डा अधि०	चांदीनगर	दोषमुक्त
4	119/02	323/324/504 भादवि	चांदीनगर	दोषमुक्त
5	125/02	302 भादवि	चांदीनगर	आजीवन कारावास
6	127/02	25 शस्त्र अधि०	चांदीनगर	जुर्म स्वीकार/सजा
7	135/02	2/3 गैंगस्टर एक्ट	चांदीनगर	02 वर्ष का कारावास व 05 हजार का जुर्माना
8	119/06	3/4 गुण्डा अधि०	चांदीनगर	दोषमुक्त
9	107/06	302/307 भादवि	चांदीनगर	दोषमुक्त
10	108/06	302/307 भादवि	चांदीनगर	दोषमुक्त
11	203/07	2/3 गै०एक्ट	चांदीनगर	नियत दिनांक
12	122/07	302 भादवि	चांदीनगर	दोषमुक्त
13	123/07	307 भादवि	चांदीनगर	दोषमुक्त
14	167/07	25/27 आर्म्स एक्ट	चांदीनगर	दोषमुक्त
15	49/06	3/4 गुण्डा अधि०	चांदीनगर	दोषमुक्त
16	108/08	302/307 भा०द०वि०	चांदीनगर	दोषमुक्त

17	173/16	386/506 भादवि	चांदीनगर	एसीजेएम दि020.11.2024
18	217/16	2/3 गैंगस्टर एक्ट	चांदीनगर	एफटीसी -01 दि0 11.11.24
19	03/18	3 यूपी गुण्डा अधि0	चांदीनगर	दोषमुक्त
20	210/14	103(1),109 बीएनएस	चांदीनगर	दोषमुक्त
21	14/21	307/34 भादवि	चांदीनगर	दोषमुक्त
22	15/21	307/323/504 भादवि	चांदीनगर	दोषमुक्त
23	1360/05	392/506 भादवि	रमाला	दोषमुक्त
24	1420/05	147/148/308 भादवि	रमाला	दोषमुक्त
25	निल/05	411/414 भादवि व 41/102 सीआरपीसी	रमाला	दोषमुक्त
26	186/06	307 भादवि	दोघट	दोषमुक्त
27	190/06	307 भादवि	दोघट	दोषमुक्त
28	200/06	302 भादवि	दोघट	दोषमुक्त
29	147/06	302भादवि	बागपत	दोषमुक्त
30	216/06	302/201 भादवि	बागपत	दोषमुक्त
31	237/06	147/148/149/307/302 भादवि	कंकरखेडा मेरठ	जानकारी की जा रही है
32	350/07	302/120बी/34 भादवि	मेडिकल मेरठ	जानकारी की जा रही है
33	57/07	2/3 गैंग एक्ट	मेडिकल मेरठ	जानकारी की जा रही है
34	552/07	306/309/511 भादवि	मेडिकल मेरठ	जानकारी की जा रही है
35	541/07	224/120बी /511/34 भादवि	मेडिकल मेरठ	जानकारी की जा रही है
36	357/07	307 भादवि	मेडिकल मेरठ	जानकारी की जा रही है
37	358/07	25/27 शस्त्र अधि0	मेडिकल मेरठ	जानकारी की जा रही है
38	40/15	307 भादवि	से049 गौतमबुद्धनगर	जानकारी की जा रही है

39	42/15	25/04 शस्त्र अधि०	से०४९ गौतमबुद्धनगर	जानकारी की जा रही है
----	-------	-------------------	-----------------------	----------------------



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक- 24.11.2024

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 42 पाउच अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 42 पाउच अवैध देशी शराब बरामद हुई हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सुभाष पुत्र परम सिंह निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2- विलेन्द्र पुत्र कर्मसिंह निवासी पट्टी दाबडा कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- 42 पाउच अवैध देशी शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना दोघट जनपद बागपत
- 2.उ0नि0 श्री रजत ढाका थाना दोघट जनपद बागपत
- 3.का0 587 अंकुल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
- 4-का0 413 आकाश सैनी थाना दोघट जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 24.11.2024

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान जुआ/सट्टा की खाई बाडी करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 2 सट्टा पर्ची, 02 पैस 630 रुपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान जुआ/सट्टा की खाई बाडी करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से 02 सट्टा पर्ची, 02 पैस व 630 रुपये नगद बरामद हुये हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. रविन्द्र पुत्र सुरेश निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।
2. जयद्रथ पुत्र पीतम सिंह निवासी पट्टी दाबडा थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 सट्टा पर्ची ।
- 02 गत्ता ।
- 02 पैस ।
- 630 रुपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत
- 2.उ0नि0 विपिन कुमार गौतम थाना दोघट जनपद बागपत
- 2-का0 951 पीताम्बर थाना दोघट जनपद बागपत
- 4.का0 413 आकाश सैनी थाना दोघट जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक-24.11.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 779/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई मो0सा0 TVS APACHE RTR बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15.11.2024 को थाना बडौत पर अंशुल पुत्र इन्द्रपाल निवासी मौ0 आर्यनगर गाँधी नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 14.11.2024 को समय शाम 05.00 बजे वादी की मो0सा0 TVS APACHE RTR रंग सफेद जिसका रजि0 नं0 UP-17-R-5088 रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर खडी की थी जो किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 779/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 779/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई मो0सा0 TVS APACHE RTR नं0 UP-17-R-5088 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी.एन.एस. की वृद्धि कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-


मनदीप पुत्र किरनपाल सिंह निवासी ग्राम वाजीदपुर थाना बडौत वर्तमान निवासी आजाद नगर पट्टी देलहान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई मो०सा० TVS APACHE RTR नं० UP-17-R-5088 (थाना बडौत से चोरी मु०अ०स० 779/24 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 65 महिपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का० 545 मनीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का० 984 दीपक शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 24.11.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

लोकेन्द्र पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक तमंचा 12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 2-है0का0 540 राजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत।
- 3-का0 1054 आशीष कुमार थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 24.11.24

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता:-

रोहित पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ.नि. श्री अनुज कुमार थाना छपरौली बागपत
- 2-है0का0 40 राजवीर सिंह थाना छपरौली बागपत

